महत्वपूर्ण

संख्या-578/नौ-9-2011-81ज/04

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2-समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
3-समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0 ।

नगर विकास अनुभाग-9, - दिनांक : लखनऊ 18 मार्च, 2011

विषय- नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के कार्य कलापों पर सक्षम प्राधिकारियों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की मूल प्राथमिकता है। इसके लिए निकायों में प्रभावी प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन की नितान्त आवश्यकता है। स्थानीय नागर निकायों के स्थलीय भौतिक निरीक्षण, उनके कार्य कलापों की समीक्षा तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह अनुभव किया जा रहा है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत आवश्यक नगरीय सुविधाए यथा सफाई, कूड़ा प्रबन्धन, पेयजल, सड़क, मार्ग प्रकाश एवं गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मा. श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य समग्र विकास योजना एवं मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के अधीन निर्मित भवनों के क्षेत्र में उक्त मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने हेतु शासन दृढ़ संकल्प है।

2- नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा शासित होती है। उक्त अधिनियम की धारा-2(17) के अनुसार निकायों के सम्बन्ध में संगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम के अधीन नगर पालिका पर अधिरोपित आदेशों के निष्पादन हेतु सम्बन्धित मण्डल के आयुक्त विहित प्राधिकारी है। उक्त अधिनियम में विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्राविधान धारा-32,33,34,35एवं 36 में स्पष्ट रूप से किया गया है। उक्त धाराओं के मुख्य प्राविधान निम्नवत् है:-

धारा 32- विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण

(क) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति का, जो नगर पालिका या संयुक्त समिति के उपयोग या अधिभोग में हो, या किसी ऐसे निर्माण कार्य का, जो नगर पालिका या

ऐसी समिति के निदेश के अधीन किया जा रहा हो निरीक्षण कर सकता है या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो परगनाधिकारी के पद से कम न हो, निरीक्षण करवा सकता है;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी बही या दस्तावेज, को जो नगर पालिका या ऐसी समिति के कब्जे में या नियंत्रण में हो, माँग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ग) लिखित आदेश द्वारा, नगर पालिका या ऐसी समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों से उपबन्धित ऐसे विवरण, लेखे, रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतियाँ जिन्हें वह मँगाना उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; और

(घ) नगर पालिका या ऐसी समिति के विचारार्थ नगर पालिका या समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के सम्बन्ध में ऐसे संप्रेक्षण लेखबद्ध कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

धारा 33-सरकारी अधिकारियों द्वारा नगर पालिका के निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण-

किसी ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जिसका नियम या अनुरक्षण पूर्णतः या अंशतः नगर पालिका के व्यय से किया गया हो या किया जाता हो, और उससे सम्बन्धित सभी रजिस्ट्ररों, बहियों, लेखे या अन्य दस्तावेजों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

धारा 34-राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगर पालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिबन्ध करने की शक्ति-

(1) विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन, नगर पालिका या नगर पालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या नगर पालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित दिये गये किसी संकल्प अथवा आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है। यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उससे जनता को या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

(1-क) जिला मजिस्ट्रेट, अपने जिले की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, इस आशय या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन नगर पालिका या नगर पालिका की समिति या संयुक्त समिति, द्वारा पारित संकल्प या नगर पालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकीय राय में ऐसा संकल्प या आदेश

इस प्रकार का है कि उससे मानव जीवन या स्वास्थ या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या उससे बलवा या दंगा हो या होने की सम्भावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में उसके अधीन किसी कार्य के किए जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

धारा 35-नगर पालिका के चूक करने की दशा में राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी की शक्ति-

(1) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि नगर पालिका इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या जारी किये गये किसी निदेश का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार नगर पालिका से स्पष्टीकरण मांगने और इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा उक्त कर्तव्य का पालन करने या उक्त आदेश या निदेश के निष्पादन के लिए कोई अवधि निश्चित कर सकती है।

(2) यदि उक्त कर्तव्य का पालन या आदेश अथवा निदेश का निष्पादन इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर न किया जाय तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है और यह निदेश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का पालन करने या आदेश या निदेश का निष्पादन करने में होने वाले व्यय का(यदि कोई हो) नगर पालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट, यथा स्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत से आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

धारा 36-आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियाँ-

(1) आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पन्न करने की नगर पालिका को शक्ति प्राप्त हो और उसकी राय में, जिसका तात्कालिक निष्पादन या सम्पन्न किया जाना (जनता की सुरक्षा, संरक्षण या सुविधा के लिए आवश्यक हो) और यह निदेश

दे सकता है कि निर्माण कार्य के निष्पादन का कार्य सम्पन्न किये जाने से सम्बन्धित व्यय को नगर पालिका द्वारा तुरन्त भुगतान किया जायेगा।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले की, जिसमें वह इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे, विहित प्राधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करेगा।

उक्त के अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग,अवस्थापना विकास निधि की धनराशि से नगर पालिका के कार्यो की स्वीकृति/व्यय की अनुमति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन से ही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3- नगर पालिका परिषद/पंचायत के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व-

नगर पालिका के कृत्य जिनका निर्वहन अध्यक्ष द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए उनका विस्तृत उल्लेख अधिनियम की धारा-50 में एवं उनके अतिरिक्त कर्तव्यों का उल्लेख धारा-51 में किया गया है।

4- अपर आयुक्त प्रशासन-पदेन अपर निदेशक स्थानीय निकाय के कार्य एवं दायित्व-

प्रदेश की स्थानीय नागर निकायों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के समन्वय एवं अनुश्रवण, सफाई,पेयजल एंव कूड़ा प्रबन्धन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी नियमित समीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-724/9-7-2010-27ज/2004 दिनॉक 14.05.10 द्वारा अपर आयुक्त प्रशासन-पदेन अपर निदेशक स्थानीय निकाय के लिये आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के संबन्ध में सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

5- इस प्रकार अधिनियम के उक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि विहित प्राधिकारी के रुप में मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को नगर पालिका के कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण शक्तियॉ प्राप्त है। अधिनियम की उक्त व्यवस्थाओं के दृष्टिगत विहित प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नगर पालिकाओं/पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं,निर्माण कार्यो एवं जनसुविधाओं से जुड़े दैनिक कृत्यों यथा सफाई, पेयजल, कूड़ा प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश आदि का निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान निकायों के विभिन्न निर्माण कार्यो की मानक स्तर की गुणवत्ता,सफाई एवं कूड़ा निस्तारण, पेयजल,मार्ग प्रकाश आदि व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना उक्त प्राविधान का मुख्य उद्देश्य है।

6- उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 में नगरपालिका परिषद/पंचायत अध्यक्षों का नगरपालिका के समस्त कार्मिकों और निर्माण कार्यो के सामान्य पर्यवेक्षण का दायित्व उसके अनिवार्य कृत्य के रुप में प्राविधानित है। अधिनियम की धारा 51-ख के अनुसार उनमें

नगरपालिका के वित्तीय प्रशासन के देख रेख और कार्य पालिका प्रशासन का अधीक्षण करने और उनमें किसी त्रुटि की ओर नगर पालिका का ध्यान आकृष्ट करने की शक्ति भी निहित है।

7- अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका के विहित प्राधिकारी के रुप में मण्डलायुक्त, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं अपर मण्डलायुक्त (प्रशासन) द्वारा अधिनियम की उक्त व्यवस्थाओं/निर्गत निर्देशों के दृष्टिगत अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढ़ग से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

मुझे यह भी कहना है कि अधिनियम में वर्णित नगरपालिका के कर्तव्यों के समुचित ढ़ग से निर्वहन हेतु मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा अपने-अपने स्तर पर नगरपालिका परिषद/पंचायत अध्यक्षों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की जाय जिससे सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपंचायत के अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ उपजिलाधिकारियों के माध्यम से उनकी तहसील में स्थित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यो, सफाई एवं कूड़ा प्रबन्धन, पेयजल आपूर्ति तथा मार्गप्रकाश आदि का उनके द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराया जाय। उक्तानुसार समीक्षा बैठक की प्रगति रिर्पोट रुप नियमित रुप से निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ तथा शासन को उपलब्ध करायी जाय।यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अधिनियम की संगत धाराओं में निहित शक्तियों के अन्तर्गत नगरपालिकाओं से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण सक्षम स्तर पर सुनिश्चित किया जाय ताकि स्थानीय नागरिकों को ऐसे मामलों में शासन एवं निदेशालय से सम्पर्क करने की आवश्यकता न पड़े।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

GO-K